न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 09.01.2020

सिविल प्रकरण संख्याः– 3/2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. रघुनन्दन सिंघल पुत्र हनुमान प्रसाद सिंघल जाति महाजन निवासी मेन बाजार ग्राम एवं पोस्ट बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स ओम हरि किराना स्टोर, मेन बाजार ग्राम एवं पोस्ट बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. श्री मनोहर लाल (फर्म मालिक) मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर मैसर्स रामचन्द्र भैरूलाल मनिहारी मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
3. निदेशक मैसर्स बूंगे इण्डिया प्रा.लि. एन एच 12 पोस्ट रामगंज बालाजी जिला बूंदी 323001
4. मैसर्स बूंगे इण्डिया प्रा.लि. एन एच 12 पोस्ट रामगंज बालाजी जिला बूंदी 323001

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

निर्णयः– दिनांक 19/1/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 06.10.2015 को समय 3.00 पी.एम. पर मैसर्स ओम हरि किराना स्टोर, मेन बाजार ग्राम एवं पोस्ट बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर रघुनन्दन सिंघल पुत्र हनुमान प्रसाद सिंघल जाति महाजन निवासी मेन बाजार ग्राम एवं पोस्ट बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) उपस्थित मिला आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं वि[illegible] खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन [illegible] विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया, जहां पर खाद्य पदार्थ [illegible] नमकीन, तेल, बिस्किट, टोफिया आदि रखी हुई थी। परिसर में रखे खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) 01 [illegible] की 08 पैक बोतले दुकान की रेक में विक्रय हेतु रखी हुई थी का निरीक्षण करने पर क्रय बिल मांगा जो कि विक्रेता द्वारा मौके पर नहीं होना बताया। आवेदक ने खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) का नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

सोयाबीन तेल (चम्बल) 01 लीटर की 04 पैक बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 280/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) की 04 पैक बोतल को मूल ही लेकर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग—अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच—708** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता रघुनन्दन सिंघल पुत्र हनुमान प्रसाद सिंघल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/3702 दिनांक 23.12.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2603/एक्ट/2015/2180 दिनांक 17.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) **मिसब्राण्ड (MIS-BRANDED Food)** पाया गया।

अतः प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा **मिसब्राण्ड (MIS-BRANDED Food)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने [illegible] में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त पर [illegible] (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) प्रकृति के [illegible] **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल)** का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति के दण्ड से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्त द्वारा बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल)** का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन 2011 की रेगूलेशन 2.4.2(1) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है। जबकि **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल)** की लेब रिपोर्ट में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पायी गयी है केवल लेबल पर अंकित **Zero CHOLESTEROL** के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन 2011 की रेगूलेशन 2.4.2(1) का हवाला देते हुये सेम्पल को मिथ्याछाप बताया गया है जो कि सरासर गलत है जबकि हमारी कम्पनी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2603/एक्ट/2015/2180 दिनांक 17.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल) मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन 2011 की रेगूलेशन 2.4.2(1) का उल्लंघन है। रेगूलेशन 2.4.2(1) के अनुसार " **खाद्य तेल और वसा के पैकेज, लेबल या विज्ञापन पर "प्रति "अतिपरिष्कृत", "अतिरिक्त परिष्कृत", "सूक्ष्म परिष्कृत", "दोहरा परिष्कृत", "परा परिष्कृत", "प्रति कोलेस्टोराल", "कोलेस्टोराल फाइटर", "ह्दय के लिए प्रशमनकारी", "कोलेस्टोराल अनुकूल", "संतृप्त वसा मुक्त" जैसे पदों या ऐसे अन्य पदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उत्पाद की क्वालिटी की अतिशयोक्ति है।**" इस प्रकरण में लेबल पर "**Zero CHOLESTEROL**" अंकित है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन 2011 की रेगूलेशन 2.4.2(1) का उल्लंघन होना साबित होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। ।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल)** का निर्माण एवं विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 एवं 3 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 [illegible]स हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है [illegible] 2 **की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध** [illegible] की जाती है)। तथा अभियुक्त संख्या 1 एवं 3 लगायत 4 को आदेशित किया जाता है कि [illegible] उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested